न्यायालयः — अमनदीपसिंह छाबडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिलाबालाघाट (म.प्र.)

आप.प्रक.कमांक—831 / 2014 संस्थित दिनांक 11.09.2014 फाई. क.234503012092014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गढ़ी, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

. – – अ<u>भियोजन</u>

/ / विरूद्ध / /

फूलसिंह पिता मोहनसिंह धुर्वे, उम्र—19 वर्ष, निवासी ग्राम डोंगरिया थाना गढ़ी जिला बालाघाट।

// <u>निर्णय</u> // (आज दिनांक 05/01/2018 को घोषित)

- 01— अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—452, 354, 506 भाग—2 का आरोप है कि उसने घटना दिनांक 12.08.2014 को दोपहर 04:00 बजे स्थान प्रार्थिया का मकान ग्राम डोंगरिया थाना गढ़ी के अंतर्गत स्थित फरियादिया झीगोबाई के मकान जो साधारणतया मानव निवास के काम में आता था, में फरियादिया को उपहित कारित करने की तैयार कर गृह अतिचार कर फरियादिया की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर बुरी नियत से हमला/आपराधिक बल का प्रयोग किया तथा फरियादिया को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के क्या।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि वह दिनांक 12.08.2014 को दिन के करीब 4:00 बजे अपने घर में सोई थी तथा सास आंगन में किसी से बात कर रही थी और उसका आदमी गांव से बाहर गया था, तभी अचानक गांव का फूलसिंह बैगा चुपके से घर के अंदर आया और बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर उठाने लगा, तब उसके चिल्लाने पर वह जान से खत्म करने की धमकी देने लगा। आवाज आने पर उसकी सास आई तो फूलसिंह बैगा घर के अंदर से निकलकर भाग गया। थोड़ी देर में उसका पित घर वापस आया तो उसे घटना की जानकारी दी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान प्रार्थी एवं गवाहों के कथन लेख किये गये। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।
- 03— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—452, 354, 506 भाग—2 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादिया/आहत झीगोबाई ने आरोपी से राजीनामा कर लिया, जिस कारण

आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—506 भाग—दो के अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा—452, 354 भा.द.वि. के शमनीय न होने से विचारण किया गया।

04- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्न है:--

01.क्या आरोपी ने घटना दिनांक 12.08.2014 को दोपहर 04:00 बजे स्थान प्रार्थिया का मकान ग्राम डोंगरिया थाना गढ़ी के अंतर्गत स्थित फरियादिया झीगोबाई के मकान जो साधारणतया मानव निवास के काम में आता था, में फरियादिया को उपहति कारित करने की तैयार कर गृह अतिचार किया ?

02.क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादिया की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर बुरी नियत से हमला/आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

- विवेचना एवं निष्कर्ष:-

विचारणीय प्रश्न कमांक 01 एवं 02

सुविधा की दृष्टि एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो इसलिए दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

फरियादी झीगोबाई अ.सा.०१ ने कथन किया है कि वह आरोपी को जानती है। घटना करीब दो वर्ष पूर्व दिन के 4:00 बजे ग्राम डोंगरिया की है। घटना के समय आरोपी से उसका मौखिक विवाद हुआ था, जिसके बाद वह अपने घर चला गया। फिर लोगों के कहने पर उसने घटना के दिन ही आरोपी के विरूद्ध थाना गढ़ी में शिकायत प्र.पी.01 की थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस को उसने झगड़े वाली जगह बताई थी और पुलिस ने उसके बताये अनुसार मौका–नक्शा प्र.पी.02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। न्यायालय द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने कथन किया है कि घटना दिनांक 12.08.2014 के दिन के करीब 4:00 बजे वह खाना खाकर घर में सोई थी और उसका पति बाहर गया हुआ था, परंत् आरोपी ने बुरी नियत से पिछले दरवाजे से घर के अंदर घुसकर उसका हाथ नहीं पकड़ा था। साक्षी के अनुसार केवल मौखिक विवाद हुआ था। आरोपी द्वारा उसे जान से मारने की धमकी नहीं दी गई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना के समय उसका केवल मौखिक विवाद हुआ था, आरोपी उसके घर नहीं आया था और उनका विवाद घर के बाहर हुआ था, आरोपी द्वारा किसी प्रकार की घटना कारित नहीं की गई थी, उसका आरोपी के साथ समझौता हो गया है और वह उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहती है।

06— साक्षी मंगल अ.सा.02 ने कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना करीब दो वर्ष पूर्व दिन के समय ग्राम डोंगरिया की है। घटना के समय आरोपी से उसकी पत्नि का मौखिक विवाद हुआ था, जिसके बाद वह अपने घर चला गया। वह बाहर गया हुआ था और घर वापस आने पर उसकी पिल ने उसे जानकारी दी। फिर लोगों के कहने पर उन्होंने घाटना के दिन ही आरोपी के विरूद्ध थाना गढ़ी में शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। न्यायालय द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने कथन किया है कि घटना दिनाक 12.08.2014 के दिन के करीब 4:30 बजे वह बाहर गया हुआ था, परंतु आरोपी ने बुरी नियत से पिछले दरवाजे से घर के अंदर घुसकर उसकी पिल का हाथ नहीं पकड़ा था। साक्षी के अनुसार केवल मौखिक विवाद हुआ था। आरोपी द्वारा उसे जान से मारने की धमकी नहीं दी गई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना के समय उसका केवल मौखिक विवाद हुआ था, आरोपी उनके घर नहीं आया था और उनका विवाद घर के बाहर हुआ था, आरोपी द्वारा किसी प्रकार की घटना कारित नहीं की गई थी तथा उनका आरोपी के साथ समझौता हो गया है और उन लोग उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते है।

07— फरियादी झिगो अ.सा.01 तथा साक्षी मंगल अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि घटना के समय फरियादी एवं आरोपी का केवल मौखिक विवाद हुआ था तथा आरोपी उनके घर के अंदर नहीं आया था और ना ही उसने कोई घटना कारित की थी। फरियादी झिगोबाई अ.सा. 01 घटना की एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, जिसने घटना से स्पष्ट इंकार किया है। प्रकरण में आरोपित अपराध के संबंध में अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के पूर्ण अभाव में अभियुक्त के विरूद्ध कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता। फलतः अभियोजन पक्ष संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादिया के घर जो साधारणतया मानव निवास के काम में आता था, में फरियादिया को उपहित कारित करने की तैयार कर गृह अतिचार कर फरियादिया की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर बुरी नियत से हमला / आपराधिक बल का प्रयोग किया। अतः आरोपी फूलिसंह को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—452 एवं 354 के अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

08- आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।

09— प्रकरण में आरोपी दिनांक 21.08.2014 से दिनांक 20.01.2015 एवं 14.10.17 से 23.10.17 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध रहा है। इस संबंध में पृथक से धारा—428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

10- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

सही / – (अमनदीपसिंह छाबड़ा) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट मेरे निर्देशन पर टंकित।

सही / – (अमनदीपसिंह छाबड़ा) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट